

फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री जोगाराम नेवाद, शिव शक्ति एवेन्यू, त्रिखुणियाँ मैन बस स्टेण्ड, सादडी, तहसील
देसुरी, जिला पाली – अपीलांत

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द – प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार, 2005

पत्रावली संख्या 39/2020

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 11.08.2020</p> <p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा जरिये क्रमांक: प.1()सू0अ0,05/2020/563-64 दिनांक 27.07.2020 से प्राप्त रिपोर्टानुसार अपीलार्थी का आवेदन पत्र दिनांक 20.03.2020 को सूचना के अधिकार अधिनियम, 05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 20.03.2020 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना उप वन संरक्षक राजसमन्द की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांक: प.1()सू0 अ0,05/2020/370-71 दिनांक 01.06.2020 को प्रेषित किया गया। प्रार्थी अपीलांत के आवेदन पत्र को जिस दिन कार्यालय/अनुभाग को प्राप्त हुआ, आवेदन पत्र का अवलोकन करने पर चाही गई सूचना इस कार्यालय की नहीं होने से संबंधित कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) (I) (II) के तहत अन्तरण कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया तथा प्रार्थी अपीलार्थी को भी सूचित किया गया।</p> <p>लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार प्रस्तुत अपील इस कार्यालय से संबंधित नहीं होने से उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती है। साथ ही अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर के यहाँ प्रथम अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करें।</p> <p>निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को भिजवायी जावे।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।</p>	



M
लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर)राजसमन्द